न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/18

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्रीमती संगीता गोस्वामी पिता शंकर गिरी, प्रोपराईटर राधाकृष्ण फैमिली रेस्टोरेंट, लियो सर्कल, बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 19–02–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के तहत दिनांक 03.01.2025 को लियो सर्कल, बांसवाडा मे स्थित राधाकृष्ण फैमिली रेस्टोरेंट की जांच उसके प्रोपराईटर श्रीमती संगीता गोस्वामी पिता शंकर गिरी की उपस्थिति में श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	056181–B	25.800	15.800	10.000

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:15:18 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमती संगीता गोस्वामी पिता शंकर गिरी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर घरेलु

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 1 सिंगल बर्नर चुल्हा व रेग्यूलेटर को जब्त किया जाकर सागर गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रामलाल कटारा/ प्रभुलाल कटारा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 मय 1 सिंगल बर्नर चुल्हा व रेग्यूलेटर घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीया को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 19.02.2025 को अप्रार्थीया ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग रेस्टोरेंट पर नही किया जा रहा है। मेरे धर एवं रेस्टोरेंट दोनो पास में होने से घरेलु सिलेण्डर रेस्टोरेंट पर रखा हुआ था। वक्त निरीक्षण मेरा रेस्टोरेंट बन्द था। यदि कोई जर्माने की राशि अदा करनी पडे तो प्रार्थीया जमा कराने तैयार है। बहस के दौरान अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 03.01.2025 को लियो सर्कल, बांसवाडा मे स्थित राधाकृष्ण रेस्टोरेंट की जांच उसके प्रोपराईटर श्रीमती संगीता गोस्वामी पिता शंकर गिरी की उपस्थिति में श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। श्रीमती संगीता गोस्वामी पिता शंकर गिरी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।मौके पर घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक [illegible] कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 1 सिंगल बर्नर चुल्हा व [illegible]टर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थीया के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थीया द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 1 सिंगल बर्नर चुल्हा व रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 19–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:45:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner